न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : **नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 05/2000
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1 गोरधन पुत्र ठाकरसी जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिहनगर हाल निवासी 86 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

शिकायतकर्ता

बनाम

2. **आईदान पुत्र ठाकरसी जाति जाट निवासी ठाकरी** तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानर

अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता
श्री मोहनलाल पूनिया अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश **दिनांक : 03.10.2017**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि आईदान पुत्र ठाकरसी जाति जाट निवासी ठाकरी ने गांव ठाकरी (ए) में गलत ब्यान करके वा राज को धोखा देकर मुरब्बा नम्बर 6 की 25.00 बीघा बारानी कुल 6.200 हैक्टर व मु.न. 12 के किला नम्बर 1 ता 6 व 7/1 कुल 1.644 बारानी भूमि अलाट करवा रखी है। जबकि यह अलाटमैन्ट का कतई हकदार नहीं है। आईदान खुद के नाम से चक 39 एनपी में 3.10 बीघा नहरी भूमि खातेदारी है। आईदान की धर्मपत्नि श्रीमति बुगिया के नाम चक 86 जीबी में 9.00 बीघा नहरी भूमि खातेदारी है। मेरे पिता स्वर्गवासी ठाकरसी पुत्र खींयाराम के नाम से करी 61 बीघा नहरी भूमि गावं 29 एनपी में खातेदारी थी जो मेरे पिता काफी साल पहले बैय कर चुके है जो पिता ने सन् 55 के बाद में बेची है। गांव 1 जीएम तहसील सूरतगढ में मुरब्बा नम्बर 166/469, 166/440, 167/440, 167/439 में 63 बीघा नहरी भूमि पिता श्री ठाकरसी के नाम से खातेदारी थी जो मेरे पिता सन् 68,69 में बैय कर चुके है। मेरे माता पिता दोनो का देहान्त हो चुका है, जिसके जायज वारिसान में उनका पुत्र व मेरे अलावा मेरा भाई आईदान व सुरजाराम कुल तीन पुत्र है मेरी दो बहिने भी है। सन 1955 के बाद मेरे पिता ने अपनी करीब पांच मुरब्बे नहरी भूमि बैय की है। सन् 1955 के बाद कृषि भूमि बेची जाने के कारण वह हमारी भूमि गिनी जाकर ही हकदार होने पर अन्य भूमि अलाट हो सकती है। मेरे भाई आईदान ने पिता के नाम वाली उक्त पांच मुरब्बे नहरी भूमि छुपाकर व अपनी व अपनी पत्नि की 12.10 बीघा नहरी भूमि छुपाकर उक्त 31 बीघा बारानी भूमि अलाट करवाई है और उक्त भूमि से नाजायज फायदा उठा रहा है। अतः उक्त 31 बीघा बारानी भूमि पुख्ता अलाटमैन्ट वाली गांव ठाकरी (ए) श्री आईदान के नाम से खारिज करके कब्जा राज में ली जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 17.02.1997 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 9.7.1997 से जिला कलक्टर महोदय के आदेश 27.05.1997 की पालना में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

(प्रशासन) श्रीगंगानगर न्यायालय में हस्तांतरित की गई। आदेशिका दिनांक 12.02.1998 से लेकर 06.03.2000 तक की आदेशिकाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं। दिनांक 18.04.2000 की आदेशिका में अंकित है कि " आज यह पत्रावली ए0डी0एम0 प्रशासन श्री गंगानगर के यहॉ से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा पेशी में ली गई। आदेशिका दिनांक 18.04.2000 से लेकर 16.09.2000 तक की आदेशिकाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सूरतगढ) श्री गंगानगर न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं। दिनांक 4.10.2000 की आदेशिका में अंकित है कि "आज यह पत्रावली ए0डी0एम0 सूरतगढ से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पेशी में ली गई।

अति जिला कलक्टर सूरतगढ, श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 4.10.2000 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकःभू0अ0/97/331 दिनांक 05.02.1997 से अवगत करवाया कि चक ठाकरी (ए) मु.न. 6 का किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टर व मु.न. 12 का किला नम्बर 1 ता 6 व 7/1 कुल 1.644 हैक्टर बारानी आईदान पुत्र ठाकरसी को पुख्ता आवंटन थी जो अब खातेदारी हो चुकी है। चक 39 एलपी में 0.886 हैक्टर नहरी आईदान के नाम से खातेदारी भूमि है। इसी चक में 1.429 हैक्टर नहरी भूमि आईदान के पिता के नाम थी जो आईदान के पिता के स्वर्गवास हो जाने के कारण विरासतन इन्तकाल आईदान वगैरा के नाम से स्वीकृत हो चुका है जिसमें आईदान का 1/5 हिस्सा है। **अप्रार्थी ने अपने जबाब दिनांक 14.09.1999 के पैरा संख्या 01 में यह अंकित किया है कि चक 39 एनपी तहसील रायसिहनगर में 3.10 बीघा नहरी कृषि भूमि जो कि प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई है।** ठाकरसी पुत्र खींयाराम जाट के नाम से चक 29 पीएसए में 47.00 बीघा नहरी, 11.10 बीघा बारानी, 0.14 बीघा खाला कुल 59.06 बीघा खातेदारी भूमि जो ठाकरसी द्वारा 15.00 बीघा बलविन्द्र सिंह, मंगलसिंह पि0 स्वर्णसिंह, 15.00 बीघा केवल सिंह, सुरेन्द्र सिंह पि. स्वर्ण सिंह, 14.00 बीघा सुवर्ण सिंह पुत्र ....जाति जटसिख , 3.10 बीघा गीतादेवी पत्नि रतीराम जाट तथा 12.00 बीघा बनवारी लाल पुत्र रामप्रताप जाट को सन 1965 में बैय कर दी थी। तहसीलदार अनूपगढ ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकःभू0अ0/प्रा.पत्र/96/1756 दिनांक 15.04.1996 से आईदान की पत्नि बूगिया जाति जाट निवासी ठाकरी के नाम चक 86 जीबी का मु.न. 32 में 9.00 बीघा भूमि खातेदारी है जिसका 02/1996 को बैयनामा हो चुका है।

इस प्रकार, अप्रार्थी को भूमि आवंटन करने से पूर्व नियमानुसार पात्रता की जॉच सुनिश्चित की गई है।

प्रकरण में आंवटन से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा दिनांक 4.10.2000 से लेकर दिनांक 07.06.2017 तक पत्राचार किया गया लेकिन मूल रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 440 दिनांक 09.02.2017 के क्रम में **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकःआवंटन/17/1252 दिनांक 03.05.2017 द्वारा मूल आवंटन पत्रावली 582/78 निर्णय दिनांक 30.06.1983 आईदान पुत्र ठाकरसी जाति जाट उपलब्ध करवाई।**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि तहसीलदार रायसिहनगर की रिपोर्ट अनुसार मु.न. 06 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.200 है0 बारानी बारानी व मु.न. 12 का किला नम्बर 1 ता 06 व 7/1 कुल 1.644 हैक्टर भूमि बारानी अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन हुई जिसकी खातेदारी हो चुकी है। **आईदान आवंटी के पास 3.10 बीघा नहरी भूमि घरू है। तहसीलदार अनुपगढ की रिपोर्ट अनुसार आवंटी आईदान की पत्नि बूगिया के नाम से चक 86 जीबी में मु.न. 32 में 9.00 बीघा नहरी भूमि खातेदारी है।** अप्रार्थी आईदान 25 बीघा नहरी यां 50 बीघा बारानी भूमि से अधिक आवंटन करवाने का पात्र नही हो सकता। जबकि प्रार्थी द्वारा 25 बीघा नहरी /50 बीघा बारानी भूमि से 3.00 बीघा नहरी/ 6.00 बीघा बारानी भूमि अधिक आवंटन करवाई है। अतः पात्रता से अधिक आवंटन रकबा को बहक सरकार कब्जा में लिया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम ठाकरी (ए) के मु.न. 6 के 24.10 बीघा मु.न. 12 के 6.10 बीघा कुल 31 बीघा बारानी कृषि भूमि आवंटन है, जिसका प्रार्थी खातेदार है। **प्रार्थी के हिस्सा में चक 39 एन पी तहसील रायसिहनगर में 3.10 बीघा नहरी भूमि उस को विरासतन प्राप्त हुई है।** इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। **प्रार्थी की पत्नी श्रीमति बूगिया के नाम चक 86 जीबी तहसील अनूपगढ में 9.00 बीघा नहरी कृषि भूमि है** जो कि बूगिया की खरीदशुदा है उसका प्रार्थी से कोई लेना देना नही है और अब उक्त कृषि भूमि बूगिया द्वारा अन्यत्र बैय की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा कोई झूठा प्रार्थना पत्र व हलफनामा पेश कर उक्त रकबा आवंटन नही करवाया है। प्रार्थी उक्त आवंटन का पात्र था इसलिए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि आवंटन की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जावें।

इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी ने आर.आर.डी. 1984 एनओसी 53 पेज–30 आर.आर.डी. 1985 पेज– 137 की प्रति पेश की है:–

Colonisation Rules, 1975, R.4[4],15[1]& 13[1][b] –Whether application for allotment can be rejected on ground that father of applicant already had 25 bighas of land – A person who has no land but his father helds land in his personal capacity held eligible for allotment
Allotment Rules, 1970, R.14[4]–Not applicable to allotment who acquired Khatedari rights-Once allottee gets khatedari rights. he acquires all rights, canferred by R.T. Act-Land, allotted on 29.10.77 to non – applicant No.1 on whom khatedari rights, conferred on 23-12-83 by mutation and then he sold land to non-applicant nos.2&3 on 24.01.84 –Application dt. 9.8.84 u/r 14[4], rightly dismissed by addl. collector holding that. Rules of 70, Not applicable after acquistion of khatedari rights, [para-5]

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो नजीरे इस मामले में चस्पा नही होती क्योंकि अप्रार्थी को हस्तगत आवेदन पत्र के अधीन आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत न होकर राज0 उपनिवेशन (सामान्य कोलोनी) शर्ते 1955 की शर्त के अधीन हुआ है। उक्त अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत गलत तथ्य पेशकर या तथ्य छिपाकर करवाया गया आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान मौजूद है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 30.06.83 से अप्रार्थी आईदान पुत्र ठाकरसी को चक ठाकरी के मु.न. 23 की 24.10 बीघा व मु.न. 29 की 6.10 बीघा कुल 31 बीघा बारानी भूमि राजरेट पर पुख्ता अलाट की गई है। जिसकी सनद क्रमांक 71534 दिनांक 27.09.1995 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक और उसके जबाब में स्वीकारोक्ति अनुसार अप्रार्थी आईदान के पास 3.10 बीघा नहरी भूमि घरू है तथा अप्रार्थी आईदान की पत्नि बूगिया के नाम से चक 86 जीबी के मु.न. 32 की 9.00 बीघा नहरी भूमि पाई गई है। जिसका सत्यापन तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांकःभू0अ0/97/331 दिनांक 05.02.1997 एवं तहसीलदार अनूपगढ की रिपोर्ट क्रमांकःभू0अ0/प्रा. पत्र/96/1756 दिनांक 15.04.1996 से भी होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास आवंटन के वक्त 3.10 बीघा नहरी एवं अप्रार्थी की पत्नि के पास 9.00 बीघा नहरी भूमि थी एवं 31 बीघा बारानी भूमि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा आवंटित की गई। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल 56.00 बीघा बारानी भूमि बनती है जबकि अप्रार्थी 50 बीघा भूमि ही आवंटन के वक्त रखने का पात्र था।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 11/14 में प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी आईदान को तत्समय उसकी आवंटन सीमा तक पात्रता के हिसाब से वक्त आवंटन 6 बीघा बारानी भूमि अधिक आवंटन होना पाया जाने से उसकी फलावट मुताबिक भूमि की किस्म अनुरूप गणना कर 6 बीघा बारानी भूमि बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिहनगर को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 30.06.83 से अप्रार्थी आईदान पुत्र ठाकरसी चक ठाकरी के मु.न. 23 की 24.10 बीधा बारानी व मु.न. 29 की 6.10 बीघा बारानी कुल 31 बीघा बारानी भूमि राजरेट पर पुख्ता अलाट की गई है, उसमें से उसके द्वारा धारित भारमुक्त 6.00 बीधा बारानी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में उसे आराजी राज दर्ज किया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।